न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
34/2016/वाद पत्र	04.03.2016	18.05.2017

उनवान

1– लादू पिता धन्ना माली निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
2–3 रामनाथ, पांचूराम पिता कल्याण माली निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
4– मु0 धन्नी बेवा कल्याण माली निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां
5– कन्हैयालाल पिता लादू माली निवासी धनोप तह0 फूलियाकलां

– वादीगण

बनाम

1– नाथीदेवी पत्नि मिठू बैरागी निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
2–4 राजेन्द्र, कन्हैयालाल, अशोक कुमार पिता मिठू बैरागी निवासी धनोप
5– रतन पिता सोहन बैरागी निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
6– मनहर पत्नि सोहन बैरागी निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
7– भीसा पिता सोहन बैरागी निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां
8– तहसीलदार, फूलियाकलां

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री आशीष पालीवाल : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है ग्राम धनोप तहसील फूलियाकलां मे वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता संख्या 72 खसरा नम्बर 280 रकबा 0.46 है0 स्थित है। वादीगण के पड़ोस मे उत्तर पूर्व मे प्रतिवादीगण की आ0न0 278 रकबा 0.42 है0, आ0न0 279 रकबा 0.03 है0 स्थित है जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त मे चली आ रही है लेकिन इन्तकाल नं0 1154 दिनांक 17.07.2012 को हकत्याग से आ0न0 278 मे प्रतिवादी 5 लगायत 7 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी 1 लगायत 4 के पक्ष मे कर दिया और आ0न0 279 मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने इन्तकाल संख्या 1155 के जरिये दिनांक 17.07.2012 को अपना हिस्सा प्रतिवादीगण 5 लगायत 7 के पक्ष मे हकत्याग कर दिया। तब से आराजी संख्या 278 प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के सहखातेदारी व कब्जे काश्त मे तथा 279 प्रतिवादीगण 5 लगायत 7 के खातेदारी कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की आ0न0 278 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी संख्या 276 के सेटलमेन्ट से पूर्व ख0न0 65 मी रकबा 4 बीघा था। सेटलमेन्ट के बाद आ0न0 65 मी से बने खसरा नं0 278, 276 का रकबा 1.01 है0 जो पुराने रकबे से 1 बिस्वा अधिक प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के खाते दर्ज हो गया है जबकि 4 बीघा के हिसाब से 1.00 है0 ही सेटलमेन्ट के बाद होना चाहिये। इस बढ़े हुये 0.01 है0 के कारण प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के खाते मे दर्ज आराजी संख्या 278 की दिनांक 08

जरिये इन्तकाल संख्या 1253 के द्वारा दिनांक 12.02.2013 को 0.01 है0 रकबा कम करके आराजी चाह 4437/278 दर्ज की गई जो संवत 2068 से 71 के खाता संख्या 638 की जमाबन्दी मे पेज संख्या 2 पर इन्द्राज कर रखे है। और नक्शें मे इस नवीन आराजी चाह को दर्ज नही किया हुआ है। अतः वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि वादीगणों के खसरा संख्या 280 उत्तरी – पूर्वी हिस्से की आराजी मे वादीगणों को 08.06.2014 की गैर कानूनी पत्थरगढ़ी के आधार पर डोल लगाकर दखल या हस्तक्षेप नही करे। शान्तिपूर्ण काश्त करने मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं करे व न नौकरों ऐजेन्टो से करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 29.10.2014 को प्रतिवादीगण नं0 1, 5, 6, 7 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा – 2017 अटल सेवा केन्द्र धनोप पर रखा गया। पक्षकारान की विधिवत तलबी की गई। वादीगण सभी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 उपस्थित हुये प्रतिवादी नं0 4 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उसके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। उपस्थित पक्षकारान ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार " **हम प्रतिवादीगण खसरा नं0 280 मे दखल या हस्तक्षेप नही करेगे शान्तिपूर्ण काश्त करने देगे न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करेगे न नौकरों ऐजेन्टो से करायेगे। हम वादीगण खसरा नं0 276–278 मे कुल रकबा 1.01 है0 दर्ज है मे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। वादीगण जाली लगाकर के प्रतिवादीगण के धोरे को हस्तक्षेप नही करेगे धोरा हमेशा खुलासा रहेगा धोरा कूदकर जाली नही लगायेगे धोरे की एक दीवार की घास प्रतिवादीगणो के कुये खसरा नं0 277 तक वादीगण काटेगे। हम प्रतिवादीगणों का धोरे मे पानी नही चलायेगे। और हम वादीगण प्रतिवादीगणों को खेतो मे भी हस्तक्षेप नही करेगे।** " उक्त राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया जिसे सुनसमझ कर सही होना स्वीकार किया। जिससे राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा अनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.05.2017 को केम्प धनोप पर सुनाया गया।

d

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)